

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(श्री घनश्याम जोशी तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 07/19 ता० रजु: 3-6-19 किस्म मुकदमा 91 CR Act निर्णय दिनांक 15-6-19

सरकार बनाम श्री मुन्ना पुत्र श्री कैला जाति चाकड
निवासी देहगावा तह० बयाना
अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । पटवारी हल्का देहगावा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम देहगावा के खसरा नं 187 रकवा 0.29 में से रकवा 0.02 किस्म भूमि चारु पर सम्वत 2018 में श्री मुन्ना पुत्र कैला जाति चाकड नि० देहगावा तहसील बयाना ने सिकात दावा कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलव किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी उपस्थित / अनुपस्थित हमने पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीकरण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जावे। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिव्वायर्चक / चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नं 187 रकवा 0.02 वाके ग्राम देहगावा से बेदखल किया जाता है। लगान को 0.08 50 गुणा पैनल्टी राशि 41/- से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली कर खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अद्वैध निर्माण ध्वस्त कर बेदखली बावत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 15-6-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली का पत्र नामदा
श. वे. सं. 04 के वेक नं. 4
दिनांक 12/6/19 का वक 2018-20
वेनल्टी रु. 4 फसल नीलामी
की जा चुकी है।

बहुमान राजश्व लेकाका
बहुमान बयाना

तहसीलदार
बयाना